



राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के० संख्या- 59/06-07

विषय:- श्री उपेन्द्र प्रसाद, सेवाच्युत लेखा लिपिक, क०वि०प० सिमरिया, चतरा (झारखण्ड)-825103, 2, पहली गली, रामधनपुर, डाक गया आर०एस०, गया, बिहार-823002 का प्राप्त आवेदन-पत्र।

10.11.2006

आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करने को कहा जाय। आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए सचिव, बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड, पटना से प्रतिवेदन की मांग किया जाय तथा सुनवाई के लिए दिनांक 05.12.2006 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में रखा जाय तथा आवेदक को भी सूचना दी जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

05.12.2006

निदेशानुसार दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 08.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007

सचिव, समाज कल्याण बोर्ड-सह-लोक सूचना पदाधिकारी आयोग के सम्मुख स्वयं उपस्थित हुये। आवेदक अनुपस्थित थे। सचिव ने आश्वस्त किया कि दिनांक 13.01.07 के पूर्व आवेदक को पूर्ण विवरण से अवगत करा दिया जायगा एवं तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी।

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त